



महोबा पुलिस द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया "राष्ट्रीय एकता दिवस"



आज दिनांक 31.10.2020 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयन्ती के शुभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार

श्रीवास्तव द्वारा पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तथा उपस्थित पुलिस बल को "राष्ट्रीय एकता दिवस" की शपथ दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि "राष्ट्रीय एकता दिवस" हमारे देश की अन्तर्निहित ताकत और लचीलापन को फिर से जोड़ने, एकता और अखण्डता के लिए वास्तविक और सम्भावित खतरों का सामना करने का सुअवसर और हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करेगा।



अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम द्वारा पुलिस कार्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तथा उपस्थित पुलिस बल को "राष्ट्रीय एकता दिवस" की शपथ दिलाई गई एवं अपने सम्बोधन में



सोशल मीडिया सेल

MAHOBA POLICE

दिनांक:- 31.10.2020

राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इसी क्रम में सीओ सिटी श्री कालू सिंह द्वारा कोतवाली नगर/महिला थाना, सीओ कुलपहाड़ श्री रामप्रवेश राय द्वारा थाना कुलपहाड़, सीओ चरखारी श्री राजकुमार पाण्डेय द्वारा थाना चरखारी में एवं समस्त थाना प्रभारियों द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में समस्त पुलिस बल को शपथ दिलाई गई।





कबरई पुलिस ने 30 लीटर अवैध शराब सहित किये 02 गिरफ्तार



दिनांक 30.10.2020 पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत आबकारी टीम एवं प्र०नि० कबरई श्री दीपक कुमार पाण्डेय द्वारा गठित टीम व०उ०नि० दिनेश सिंह मय हमराहियान के मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्ता 1. श्रीमती गीता पत्नी भूरा कबूतरा उम्र 47 वर्ष, नि० बिच्छू पहाडिया थाना कोतवाली महोबा के कब्जे से **एक प्लास्टिक की पिपिया में 20 लीटर अवैध शराब** 2. अभियुक्ता कुसमी पत्नी मनोज कबूतरा निवासी वर्मा तालाब थाना कबरई जिला महोबा के कब्जे से **10 लीटर अवैध कच्ची शराब** सहित गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध थाना हाजा मु.अ.सं. 282/20 व 283/20 धारा 60 आबकारी पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्ताओं का विवरण:-

1. श्रीमती गीता पत्नी भूरा कबूतरा उम्र 47 वर्ष, नि. बिच्छू पहाडिया थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।
2. कुसमी पत्नी मनोज कबूतरा, निवासी वर्मा तालाब थाना कबरई जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम एवं आबकारी टीम:-

1. व०उ०नि० श्री दिनेश सिंह
2. कां कृष्णचन्द्र
3. नईम अहमद



कुलपहाड़ पुलिस ने वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 31.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० कुलपहाड़ अनूप दुबे द्वारा गठित टीम उ०नि० रघुनाथ यादव मय हमराहियान के मुखबिर खास की सूचना पर थाना हाजा के मु०अ०सं० 312/2020 धारा 354/504 भादवि से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त जुझार सिंह पुत्र घनश्याम यादव उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम सुगिरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को बस-स्टैण्ड प्रतिक्षालय ग्राम सुगिरा से गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का का विवरण:-

जुझार सिंह पुत्र घनश्याम यादव उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम सुगिरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० रघुनाथ यादव
2. कां० सौरभ सिंह



महोबकण्ठ पुलिस ने वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 31.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थानाध्यक्ष महोबकण्ठ आनन्द कुमार द्वारा गठित टीम उ०नि० दशरथ सिंह मय हमराहियान के मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर वाँछित अभियुक्त छत्रपाल पुत्र बट्टी राजपूत उम्र करीब 36 वर्ष, नि० ग्राम उमरई थाना महोबकंठ जनपद महोबा, संबंधित मु०अ०सं० 162/20 धारा 307/324/323/504/506 भादवि को ग्राम कनकुआ तिराहा से गिरफ्तार कर मा० न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का का विवरण:-

छत्रपाल पुत्र बट्टी राजपूत उम्र करीब 36 वर्ष, नि० ग्राम उमरई थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० दशरथ सिंह
2. का० इन्द्रेश कुमार



पुलिस अधीक्षक/एडीएम द्वारा किया गया जेल का औचक निरीक्षण



आज दिनांक 31.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा उप-कारागार महोबा का औचक निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा बैरिको चेक किया गया तथा उनकी

साफ-सफाई हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया एवं बन्दियों के भोजन आदि की व्यवस्थाओं को भी चेक किया गया। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा गया। जेल के अन्दर कोई भी प्रतिबन्धित सामग्री न जाए, इसके लिए जेलर श्री बी०एन० मिश्रा को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। निरीक्षण के दौरान एडीएम श्री रामसुरेश वर्मा, एसडीएम सदर श्री राजेश यादव, पीआरओ एसपी उ०नि० राजेश मौर्य मौजूद रहे।





महोबा पुलिस से 01 उप-निरीक्षक व 02 मुख्य आरक्षी हुये सेवानिवृत्त, दी गयी भावभीनी विदाई

आज दिनांक 31/10/2020 को पुलिस लाइन्स स्थित सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में 01 उप-निरीक्षक व 02 मुख्य आरक्षी के सेवानिवृत्त होने पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम द्वारा उपहार/शाल देकर सम्मानित किया गया एवं उनके द्वारा जनपद को दी गयी सराहनीय सेवा को याद किया गया।

1. उ0नि0 हीरा सिंह 2. मु0आ0 इन्द्रप्रताप सिंह 3. मु0आ0 बाबू राम भाष्कर, ये सभी अपनी-अपनी उ0प्र0 पुलिस सेवा के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये। इस मौके पर प्रतिसार निरीक्षक श्री सैन्यजीत सिंह, एमटीओ श्री ललित नारायण द्विवेदी, पीआरओ एसपी उ0नि0 राजेश मौर्य सहित कई शाखा के शाखा-प्रभारी मौजूद रहे।





खन्ना पुलिस ने अवैध तमंचा/कारतूस सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 31.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध शस्त्रों की बरामदगी व शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० खन्ना श्री शिव

आसरे द्वारा गठित टीम उ.नि. बलदेव सिंह मय हमराहियान के मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त बब्बू खंगार पुत्र मइयादीन निवासी पुरा थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र 52 वर्ष, को अभियुक्त के ट्यूबेल से मय 01 अदद तमन्चा 315 बोर दोनाली व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर मु.अ.सं. 139/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का का विवरण:-

बब्बू खंगार पुत्र मइयादीन निवासी पुरा थाना खन्ना जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ.नि. श्री बलदेव सिंह
2. का. अरुण कुमार
3. का० प्रमोद सिंह



खन्ना पुलिस ने 03 वाँछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 31.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० खन्ना श्री शिव आसरे द्वारा गठित टीम उ.नि. बलदेव सिंह मय हमराहियान के मुखबिर खास की सूचना पर

मु०अ०स० 114/20 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि से सम्बन्धित 03 नफर वाँछित अभियुक्त 1. रवि उर्फ रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र रामरूप सिंह 2. संदीप सिंह पुत्र रामरूप सिंह 3. रामरूप सिंह पुत्र स्व० ब्रजबिहारी सिंह, समस्त निवासीगण ग्राम व थाना खन्ना जनपद महोबा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का विवरण:-

1. रवि उर्फ रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र रामरूप सिंह उम्र 25 वर्ष
2. संदीप सिंह पुत्र रामरूप सिंह उम्र 32 वर्ष
3. रामरूप सिंह पुत्र स्व० ब्रजबिहारी सिंह
समस्त निवासीगण ग्राम व थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ.नि. बलदेव सिंह
2. का. अरुण कुमार
3. का० प्रमोद सिंह



सोशल मीडिया सेल

MAHOBA POLICE

दिनांक:- 31.10.2020

***“मिशन शक्ति” अभियान के तहत**

बालिकाओं/महिलाओं को किया गया जागरूक*

गया एवं महिला सम्बन्धी कानून आदि की जानकारी देते हुये उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।



आज दिनांक 31.10.2020 को उ0नि0 सुषमा चौधरी प्रभारी महिला थाना मय टीम एवं एण्टी रोमियो टीम के साथ शहर के रामकथा मार्ग, उदल चौक, प्राइवेट बस-स्टैण्ड, तहसील चौराहा आदि जगहो पर जाकर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए चलाये जा रहे महाभियान "मिशन शक्ति" के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा महिला हेल्पलाइन नम्बर- 1090, 181, 112,1076 को साझा किया



@mahobapolice



SP Mahoba



7839857330



सोशल मीडिया सेल

MAHOBA POLICE

दिनांक:- 31.10.2020

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा शहर में किया गया फ्लैग मार्च



आज दिनांक 31.09.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0के0गौतम एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह द्वारा मय कोतवाली नगर पुलिस बल के साथ आल्हा चौक, ऊदल चौक, परमानन्द तिराहा आदि स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया तथा जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में पैदल गस्त की गई। गस्त के दौरान मुख्य बाजार, बस-स्टैंड, धार्मिक स्थलो सहित होटल/ढाबो/ दुकानो की

चेकिंग की गई। इस दौरान वहाँ कोविड-19 नियमों के तहत सैनेटाइजर/मास्क/सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों के बारे में लोगों को बताया गया। पैदल गस्त के दौरान लोगों को **कोविड-19** संक्रमण को जागरूक भी किया गया। लोगों को घरों से बाहर निकलने पर **मास्क लगाने व 02 गज की दूरी** बनाये रखने की अपील की गई।



@mahobapolice



SP Mahoba



7839857330



सोशल मीडिया सेल

MAHOBA POLICE

दिनांक:- 31.10.2020

***कोविड-19 के उल्लंघन पर किया गया 27650/-
रु० का जुर्माना एवं यातायात नियमों के तहत किये
गये ई-चालान***

आज दिनांक 31.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन चेकिंग/जागरूकता अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में चेकिंग की गई। जिसके तहत **कोविड-19/यातायात नियमों के उल्लंघन** पर समस्त थानों द्वारा **कोविड-19 के तहत 219 व्यक्तियों से 27650/-रु०** जुर्माना वसूला गया तथा यातायात नियमों के उल्लंघन पर **15 ई-चालान** भी किया गया।

जागरूकता अभियान के तहत लोगों को नोवल कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए घरों में सुरक्षित रहने तथा मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेंस (02 गज की दूरी) बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।



@mahobapolice



SP Mahoba



7839857330